

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 15.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने 01, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01, थाना परसपुर पुलिस ने 01 व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना तरबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दिनेश कुमार पुत्र गायत्रीप्रसाद नि० टकटोना थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-352/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामकैलाश पुत्र स्व० प्रहलाद नि० ग्राम भोला मिश्र पुरवा मौजा चांदपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-306/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ज्ञानसिंह पुत्र राधेश्याम सिंह नि० जनवारपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-447/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना को० नगर पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशि मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को हृदय से दिया धन्यवाद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल थानों पर बनी साइबर हेल्पडेस्क को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है ।

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित मुकुल गुप्ता नि० रानी बाजार थाना को० नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को० नगर पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि गलत नम्बर पर गूगल पे के माध्यम से 10,000 रू० ट्रान्सफर हो गए है तथा अब व वापस करने को तैयार नहीं है। सूचना पर थाना को० नगर साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल गोण्डा से सम्पर्क स्थापित कर सम्बंधित बैंक के सहयोग से तत्काल कार्यवाही करते हुए ट्रान्सफर की गयी धनराशि रू० 10,000/- को पीड़ित के खाते में पैसा वापस कराया गया। पैसे वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा गोण्डा पुलिस को सहृदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोंडा
दिनांक 15.09.2023

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक को बरामद कर उसके परिजन को किया सुपुर्द—

पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा बालकों/व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक प्रियांशु सैनी को बरामद किया गया। दिनांक 14.09.2023 को श्री सोनू सैनी पुत्र श्री राम जी सैनी निवासी वीरपुर थाना मनकापुर जिला गोण्डा द्वारा जरिये मोबाइल द्वारा सूचना दी गयी कि मेरे साडू का लडका प्रियांशु सैनी उम्र करीब 13 वर्ष पुत्र नंदलाल सैनी निवासी ग्राम खिरिया मझगवां थाना वजीरगंज जिला गोण्डा हमारे घर पर रहकर पढाई करता है, जो आज बिना बताए बस से बैठकर गोण्डा शहर में आ गया, और गायब हो गया, जिसे काफी तलाश किया गया किंतु अभी तक नहीं मिला है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गुमशुदा प्रियांशु सैनी को तलाश करके ढूंढा गया तथा उसके मौसा श्री सोनू सैनी एवं मौसी श्रीमती किरण देवी को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनो द्वारा गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त सराहनीय कार्य की आमजनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2023

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त नानबाबू चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा दिनांक 14.09.2023 को थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नानबाबू चौहान पुत्र ननकऊ चौहान नि० आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-305/23 धारा 376 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० अश्वनी कुमार राय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2023

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 15.09.2023 को थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त कादिम अली को मनकापुर बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को० नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कादिम अली पुत्र नूर मोहम्मद नि० धनौली थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-629/23 धारा 376डी,504,506 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० डिग्री प्रसाद गौतम मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2023

धोखाधडी कर जमीन बैनामा कराने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जालसाजी कर जमीन बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त शत्रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने संतोष कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद नि० ग्राम वैरागी पुरवा राजापुर परगना थाना को० नगर जनपद गोण्डा गोण्डा की जमीन को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करवा लिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शत्रोहन पुत्र साहेबदीन नि० वैरागी पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-910/22, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० सुरेशमणि मिश्रा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2023

चोरी की घटना का खुलासा, चोरी की योजना बनाते समय 01 शातिर चोर गिरफ्तारी, चोरी की सरिया व चोरी करने के उपकरण बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शातिर चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा रात्रिगस्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय 01 शातिर अभियुक्त धर्मराज उर्फ धरमू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,000 रू०, चोरी करने के उपकरण व निशानदेही से 54 पीस लोहे की सरिया बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मराज उर्फ धरमू का साथी अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उक्त अभियुक्त ने अपने फरार साथी अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 09/10.09.2023 की रात्रि करनैलगंज रोड पर विलिडिंग मैटरियल व किराना की दुकान का ताला तोड़कर सरिया व 8000 रू० की चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. धर्मराज उर्फ धरमू पुत्र बहादुर नि० पहलीपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु०अ०सं०—418/23, धारा 457,380,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—465/23, धारा 401 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 54 अदद पीस लोहे की सरिया।

02. 1000 रू० नगद।

03. चोरी करने के उपकरण।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—396/23, धारा 380 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

02. मु०अ०सं०—485/23, धारा 380,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

03. मु०अ०सं०—375/21, धारा 60 आबकारी अधि० थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

04. मु०अ०सं०—312/20, धारा 60 आबकारी अधि० थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

05. मु०अ०सं०—111/18, धारा 457,380 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

06. मु०अ०सं०—205/98, धारा 401 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व०उ०नि० अजय कुमार पाण्डेय मय टीम